BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 13 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त मुनेन्द्र पुत्र रामवीर निवासी ग्राम पुठरी थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर के कब्जे से वर्ष 2012 में 01 तमंचा 315 व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुई थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.04.2012 को थाना अहमदगढ़ पर मुअसं-67/12 धारा 25(1)1बी पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.05.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 03 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 13.08.2024 को न्यायाधीश श्री मंजीत सिंह श्यौरान (मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुनेन्द्र को 03 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अरूण कुमार राघव व श्री मुनीराज सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर